युवा बन सकते हैं विकास के अग्रदूत : सिंधिया

जेआरडी टाटा अवॉर्ड्स में बोले संचार मंत्री, उचित मार्गदर्शन है कुंजी

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले तो वे देश की विकास गाथा के अग्रणी वाहक बन सकते हैं. सिंधिया ने यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट द्वारा आयोजित जेआरडी टाटा अवॉर्ड्स 2025 प्रदान करने के बाद कहा कि जिन उद्यमियों को आज पुरस्कार मिले हैं, वे समावेशी विकास की शक्ति का प्रमाण हैं.

इनकी सफलताएं यह दर्शाती हैं कि यदि उचित मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो ग्रामीण और शहरी युवा देश की विकास गाथा के अग्रणी वाहक बन सकते हैं.

उन्होंने कहा कि जब हम एक अधिक समतामूलक और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि क्षेत्रीय विकास और पर्यावरणीय लचीलापन सुनिश्चित करने की कुंजी उद्यमिता में ही निहित है. समारोह में उन सूक्ष्म उद्यमियों और उनके मार्गदर्शकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश में समावेशी और टिकाऊ उद्यमिता तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. स्वर्गीय जेआरडी टाटा की स्मृति में 1995 में स्थापित, ये पुरस्कार भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट द्वारा समर्थित सूक्ष्म उद्यमियों और उनके मार्गदर्शकों को दिये जाते हैं. भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट अब तक 20 लाख से अधिक युवाओं को वित्त और मार्गदर्शन उपलब्ध करा चुका है. उसने 820 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित करवाए हैं और पाँच लाख से अधिक रोजगार सृजित किये हैं.

इस वर्ष एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्पत जी. को प्रदान किया गया, जो शिमी डिज़ाइन्स नामक कंपनी का संचालन करते हैं. यह कंपनी इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेवाएं प्रदान करती है. वे दो अन्य कंपनियां भी चलाते हैं, जो विभिन्न उद्योगों में मैनपावर और सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराती हैं. उर्जा सौर इलेक्ट्रॉनिक्स नामक सौर ऊर्जा कंपनी चलाने वाले मयूर हीवरकर को उपविजेता चुना गया. यह कंपनी ग्रामीण और शहरी समुदायों को छतों पर लगने वाले सोलर सिस्टम, सौर उत्पाद और अन्य नवाचारी ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराती है.

वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान ई. पंचमिर्थम को दिया गया, जिन्हें इंडो टूल्स एंड डाइज़ नामक एक विनिर्माण कंपनी स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया. यह कंपनी भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग ग्राहकों को सेवाएं देती है. लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड रवि जे. को प्रदान किया गया, जिन्होंने रिलायंस डायमंड टूल्स नामक कंपनी की स्थापना की. यह कंपनी उच्च सटीकता वाले डायमंड टूल्स और नवाचारी टूल प्रबंधन सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर पहचानी जाती है. भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक और प्रबंधन ट्रस्टी लक्ष्मी वी. वेंकटेशन ने कहा कि जेआरडी टाटा पुरस्कार भारत के सूक्ष्म उद्यमियों की भावना और दृढ़ता का उत्सव हैं.

रुपया लगातार तीसरे दिन टूटा, 87 रुपये प्रति डॉलर के करीब

मुंबई, 30 जुलाई. विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और डॉलर की माँग आने से मंगलवार को रुपये में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही. भारतीय मुद्रा 20.75 पैसे टूटकर 86.91 रुपये प्रति डॉलर पर आ गयी जो करीब डेढ़ महीने का निचला स्तर है. रुपये पर शुरू से ही दबाव रहा. यह 86.76 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और इसके बाद लगातार लुढ़कता हुआ 86.92 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया. अंत में यह 86.91 रुपये प्रति डॉलर पर रहा. दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर आज 0.42 रुपये प्रति डॉलर मजबूत हुआ. साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूँजी बाजार से 77.8 करोड़ डॉलर निकालने से भारतीय मुद्रा दबाव में रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब एक प्रतिशत का उछाल रहा. इसने भी रुपये की गिरावट में योगदान दिया.

ब्रिटेन के साथ एफटीए से हर क्षेत्र में होंगे असीमित अवसर

नयी दिल्ली, 30 जुलाई. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन के साथ पिछले दिनों हुये मुक्त व्यापार समझौते से हर सेक्टर में असीमित अवसर होंगे.

नंदा ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ब्रिटेन के साथ एफटीए की खास बात यह है कि इसमें सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है. इससे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लिए वहाँ जाकर या वहाँ के क्लाइंटों के लिए ऑनलाइन काम करना संभव हो सकेगा. उन्होंने बताया कि आईसीएआई ने अपने एक हजार से अधिक सदस्यों को अमेरिका के लिए प्रशिक्षित किया है. ब्रिटेन के लिए अगले महीने कोर्स शुरू किया जायेगा. आईसीएआई अध्यक्ष ने कहा कि एफटीए ने एक मंच प्रदान किया है, जिस पर आगे बढ़ते हुए हमें प्रदर्शन करना है. उन्होंने कहा कि एफटीए में सेवा क्षेत्र को शामिल करने के साथ वीजा शर्तों को आसान किया गया है.

हमारे देश में युवा आबादी सबसे ज्यादा है. हम अपने बच्चों के शुरू से ही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अंग्रेजी सिखाते हैं. भारतीयों के अंदर काम करने का जज्बा और ईमानदारी कूट-कूटकर भरी है. इसलिए, यह हमारे लिए बड़ा अवसर है.

टैक्स ऑडिट की सीमा 60 तय कर दी गयी

उल्लेखनीय है कि संस्थान ने कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है. श्री नंदा ने बताया कि सेक्शन 44एबी के तहत प्रत्येक सीए के लिए टैक्स ऑडिट की सीमा 60 तय कर दी गयी है. अब एक सीए 60 से अधिक टैक्स ऑडिट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेगा.

जून में डिजिटल भुगतान 9.10 लाख करोड़ पार

नई दिल्ली, 30 जुलाई. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में व्यापारियों को किए गए डिजिटल भुगतान में जून माह में वार्षिक आधार पर लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो ?9.10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. बुधवार को जारी इक्रिरस प्रतिभूतियों के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है.

व्यक्ति से व्यापारी भुगतान डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा आधार बना रहा, जिसमें 22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ?6.8 लाख करोड़ का भुगतान हुआ. ऋण पत्र (क्रेडिट कार्ड) खर्च में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, जो 1.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया. वहीं डेबिट कार्ड खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की गिरावट आई और यह ?35,300 करोड़ रहा.

जून माह में कुल डिजिटल भुगतान में व्यक्ति से व्यापारी की हिस्सेदारी 74.5 प्रतिशत रही, जबकि ऋण पत्र की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत रही. रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन के कुल मूल्य का लगभग दो-तिहाई भाग 2,000 से अधिक का था.

जन औषधि योजना से 38,000 करोड़ की बचत

2027 तक 25,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य तय

अब तक देशभर में खुले 16,912 जन औषधि केंद्र

नई दिल्ली, 30 जुलाई. संसद को मंगलवार को सूचित किया गया कि पिछले 11 वर्षों में जन औषधि केंद्रों ने नागरिकों के लगभग 38,000 करोड़ बचाए हैं.

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 30 जून 2025 तक देश भर में 16,912 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं.

मंत्री ने कहा कि इस योजना के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में, ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को अनुमानित ?38,000 करोड़ की बचत हुई है. उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, इस योजना ने परिवारों द्वारा जेब से किए जाने वाले खर्च को 2014-15 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 62.6त्न से घटाकर 2021-22 में 39.4त्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

इस योजना के तहत उत्पाद बाजार में संबंधित प्रमुख ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में लगभग 50-80त्न सस्ते हैं. योजना के उत्पाद बास्केट में कुल 61 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं.

क्रिप्टो निवेश में दिल्ली-एनसीआर की बादशाहत कायम

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (वार्ता) क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म क्वाइनस्विच ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर देश के क्रिप्टो निवेश परिदृश्य में लगातार अग्रणी बना हुआ है. क्वाइनस्विच की यहाँ जारी रिपोर्ट 'इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो- हाउ इंडिया इन्वेस्ट्स' के 2025 की दूसरी तिमाही के संस्करण में कहा गया है कि क्रिप्टो निवेश के मामले में दिल्ली-एनसीआर देश में शीर्ष पर बना हुआ है. इसके बाद क्रमशः बेंगलुरु और मुंबई का स्थान है. देश के कुल क्रिप्टो निवेश का 26.6 प्रतिशत इन्हीं तीनों महानगरों से आता है. क्वाइनस्विच के उपाध्यक्ष बालाजी श्रीहरि ने कहा, साल 2025 की दूसरी तिमाही क्रिप्टो के लिए वैश्विक स्तर पर विशेष रही. और भारत भी इससे अछूता नहीं है. बिटकॉइन का 1,23,000 डॉलर से ऊपर जाना, पश्चिमी देशों में नीति परिवर्तन और निवेशकों का बढ़ता विश्वास, इन सबसे भागीदारी में जबरदस्त उछाल लाया है. भारत में क्रिप्टो अब स्पष्ट रूप से मुख्यधारा में

कब्जे की सूचना - (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री बिष्णु इरपाचे श्रीमती बबली इरपाचे (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10423900)	पटवारी हल्का संख्या 16, खसरा संख्या 277 का वह पूरा टुकड़ा, जो ग्राम कोटमी, शाहपुर, बैतूल, मध्य प्रदेश, 460440, भारत में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति क्षेत्रफलः 900.00, 400.00, 500.00	रु. 347554/- (तीन लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ चौवन मात्र)	18-03-2025	25-07-2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 183, प्रथम तल सोनी भवन, एमपी नगर जोन क्क भोपाल या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 98, फेज- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः भोपाल
दिनांकः 31-07-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सीन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, मैं, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) का प्राधिकृत अधिकारी हूं तथा अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः

स. क्र.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि 13 (2) और टोटल O/s
1	LAN: 604439511490040 1. आशुतोष सराठे 2. मोहन लाल सराठे 3. विमला बाई सराठे पताः वार्ड क्रमांक 33, संजय नगर, ग्वालटोली, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश 461001	मौजा गोविंदपुरा, ग्वालटोली, वार्ड क्रमांक 31, शहर होशंगाबाद, तहसील एवं जिला होशंगाबाद/नर्मदापुरम में स्थित भूमि और भवन का वह समस्त टुकड़ा, नजूल शीट क्रमांक 30, भूखंड क्रमांक 3/21, मध्य प्रदेश, 600 वर्ग फुट, अर्थात 55.76 वर्ग मीटर। पूर्व में मनोहर लाल वर्मा का प्लॉट, पश्चिम में 5 कॉलोनी वे, उत्तर में सोनी की संपत्ति, दक्षिण में विनोद कुमार साहू का प्लॉट	14.07.2025 रु. 10,37,626.90 (रु. दस लाख सैंतीस हजार छह सौ छब्बीस और नब्बे पैसे मात्र) 12.07.2025 तक एनपीए तिथिः 06.07.2025

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्थान : होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
दिनांक : 14.07.2025

नामांतरण प्रकरण में उपस्थिति हेतु

ईश्तहार

आदेश 05 नियम 01 एवं 05 व्यवहार प्रक्रिया संहिता।
राजस्व अ.प्र.क. 202406092100017 अ-27
वर्ष 2023-24 में उपस्थिति हेतु
श्रवण तिथि- 04/08/2025 प्रोसेस नंबर :-
सक्षम :-न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

राकेश ठाकुर आ. स्व. श्री इन्द्रभूषण ठाकुर व अन्य 01 निवासी सनसीटी राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ...आवेदक

//विरुद्ध//

01. अल्का ठाकुर पति स्व. राजेश ठाकुर, 02. श्वेता झा पिता राजेश ठाकुर, 03 आस्था पिता स्व. राजेश ठाकुर निवासी द्वारकापुरी कोटरा सुल्तानगढ़ पी.एंड.टी. कॉलोनी भोपाल म.प्र. 04 रीचा झा आ. स्व. सुर्यकान्त ठाकुर, 05. श्रीकांत ठाकुर आ. इन्द्रभूषण ठाकुर दोनो निवासी शशांक ठाकुर वकील अभिलासा परिसर बस स्टैंड बिलासपुर, 6 संजीव ठाकुर आ. स्व. इन्द्रभूषण ठाकुर उम्र 60 वर्ष निवासी कृष्णमंदिर के सामने गली गुरूद्वारा लंगर के बाजु श्याम नगर गुरूद्वारा रायपुर (छ.ग.) 07 अंकित ठाकुर आ. स्व. सूर्यकान्त ठाकुर उम्र 40 वर्ष निवासी सुर्यांकित भवन डगनिया मोड सुन्दर नगर चौक रायपुर (छ.ग.) ...अनाआवेदक

आवेदक राकेश ठाकुर आ. स्व. श्री इन्द्रभूषण ठाकुर व अन्य 01 निवासी सनसीटी राजनांदगांव जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदन पेश किया है कि उत्तरवादीगण अल्का ठाकुर पति स्व. राजेश ठाकुर, 02. श्वेता झा पिता राजेश ठाकुर, 03 आस्था पिता स्व. राजेश ठाकुर निवासी द्वारकापुरी कोटरा सुल्तानगढ़ पी. एंड.टी. कॉलोनी भोपाल म.प्र. वगैरह द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि आवेदित भूमि स्व. राजेश ठाकुर के पिता स्व. इन्द्रभूषण ठाकुर के नाम पर शीट नंबर 06 ख.नं. 343 रकबा 2870 वर्गफुट पर कवेलूदार मकान था जिसे कि इस संपत्ति का पूरा मालिकाना हक राजेश ठाकुर को देकर उनके नाम पर वसीयतनामा निष्पादित करने का कथन किया करते हुए नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया है जिसमें विद्वान निम्न न्यायालय ने अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर स्व. राजेश ठाकुर का नाम नामांतरित करने हेतु आदेश दिया जिससे क्षुब्ध व व्यथित होकर अपील आवेदन पेश किया है। उक्त अपील प्रकरण में आप क्रमशः 01. अल्का ठाकुर पति स्व. राजेश ठाकुर, 02. श्वेता झा पिता राजेश ठाकुर, 03 आस्था पिता स्व. राजेश ठाकुर निवासी द्वारकापुरी कोटरा सुल्तानगढ़ पी.एंड.टी. कॉलोनी भोपाल म.प्र. 04 रीचा झा आ. स्व. सुर्यकान्त ठाकुर, 05. श्रीकांत ठाकुर आ. इन्द्रभूषण ठाकुर वकील अभिलाशा परिसर बस स्टैंड बिलासपुर, 6 संजीव ठाकुर आ. स्व. इन्द्रभूषण ठाकुर उम्र 60 वर्ष निवासी कृष्णमंदिर के सामने गली गुरूद्वारा लंगर के बाजु में श्याम नगर गुरूद्वारा रायपुर छ.ग. 07 अंकित ठाकुर आ. स्व. सूर्यकान्त ठाकुर उम्र 40 वर्ष निवासी सुर्यांकित भवन डगनिया मोड सुन्दर नगर चौक रायपुर छ.ग को इस न्यायालय में पेशी दिनांक 04/08/2025 को प्रातः 11:00 बजे अपील प्रकरण का उत्तर देने के लिए समंस दिया जाता है, आप इस न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा हाजिर हो सकते हैं जिन्हें सम्यक अनुदेश दिये गये हों और इस दावे संबंधित श्रवण तथ्यों का उत्तर दे सके, या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर दे सके, आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन सभी दस्तावेजों को पेश करें जिस पर आपकी प्रतीक्षा या प्रतिदावा आधारित है।

आपको सूचित किया जाता है कि आप अथवा आपकी ओर से आपका प्लीडर उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे तो अपील प्रकरण की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा, यदि किसी कारण वश उक्त पेशी तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है या यदि किसी कारण वश कार्य स्थगित किया जाता है तो अगले कार्यदिवस पर प्रकरण की सुनवाई की जावेगी।

जारी दिनांक 23/07/2025
(मुहर)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगढ़

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	76390952	संपत्ति के बदले ऋण	30.06.2025	4,83,663.66/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. भानुप्रताप सिंह 2. कृष्णा बाई

संपत्ति का पताः अचल संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल (आवासीय भवन) क्षेत्रफल 2339 वर्ग फुट। (217.298 वर्ग मीटर) मकान संख्या 156 में शामिल, पी.एच.एन. 118, वार्ड संख्या 16, गांवः बरग्या, तहसीलः ब्यावरा, जिलाः राजगढ़, मध्य प्रदेश राज्य -465674, और इस प्रकार घिरा हुआः पूर्वः संतोष प्रेम सिंह का घर, पश्चिमः कॉमन रोड, उत्तरः प्रभु नाथ सिंह का घर, दक्षिणः मोती सिंह का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 31.07.2025
स्थानः राजगढ़

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071

शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011.

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर भविष्य के ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ता	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	देय राशि रुपये में/दिनांक तक
1	1) श्री अमृत गुर्जर, पुत्र कमल गुर्जर, 2) श्रीमती प्रेम बाई गुर्जर, पत्नी कमल गुर्जर	ऋण खाता सं. 30609610000731 30609410001042 ऋण राशिः ₹24,00,000/-	**अचल संपत्तिः** भूखंड/मकान संख्या 98, सरल संख्या 45, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.93 वर्ग मीटर) और उस पर निर्माण सहित, वार्ड संख्या 27, आदित्य नगर, मुख्य सड़क के अंदर, ग्राम 2 मगरिया, नगर पालिका शाजापुर, तहसील एवं जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित, भूमि का वह समस्त टुकड़ा और टुकड़ा। पूर्व में 20 फुट रोड, पश्चिम में अन्य का भूखंड, उत्तर में ईश्वर सिंह गुर्जर का मकान, दक्षिण में सुमित्रा बाई का भूखंड।	04-05-2025 और 30-07-2025	₹ 25,21,697.88 (रु. पच्चीस लाख इक्कीस हजार छह सौ सत्तानवे और अट्ठासी पैसे मात्र) 24.07.2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं के विरुद्ध करने का आह्वान किया जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या लेन-देन करने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांकः 31.07.2025, स्थानः भोपाल

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित बैंक लिमिटेड के लिए

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
''मिनी रत्न कम्पनी''
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक उपक्रम)

SECL/SAM/ABD/DUGM/2025/110,

सूचना

Date: 16.07.2025

दामनी भूमिगत खदान हेतु ग्राम खैरहा के अन्तर्गत ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल की अधिग्रहीत भूमियों के अन्तर्गत अधोलिखित दर्शाये गये भूमिस्वामियों के नाम एवं भूआश्रितों के विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	1ए पत्रक के अनुसार भूस्वामी का नाम	धारा 9(1) के अनुसार भूमिस्वामी का नाम	वर्तमान भूस्वामी भुगतान के समय	भूआश्रित का नाम एवं संबंध	दस्तावेज में भूआश्रित का नाम: आधार कार्ड	मतदाता परिचय पत्र	रोजगार पंजीयन	शिक्षा प्रमाण पत्र	निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र	राशन कार्ड	अनुविभागीय अधिकारी के सत्यापन पत्र में
1	नीलकंठ पिता भगवानदीन बढई खसरा नं. / रकवा हे. 80/2 — 0.089 82/2 — 0.231 85/2 — 0.259 कुल = 3 किता — 0.579 हे.	नीलकंठ पिता भगवानदीन बढई	कस्तुरीबाई पति नीलकंठ, सरस्वती, तारावती, दुर्गेश, रमेश, मीरा, रीना उर्फ़ भारती पिता नीलकंठ	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई, स्वयं	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई		दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई ओ.बी.सी.	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई	दुर्गेश कुमार बढई पिता नीलकंठ बढई
	भूखना पिता मंगल साहू खसरा नं. / रकवा हे. / सहमति रकवा हे.में 178/1 — 0.251 — 0.231	भूखना पिता मंगल साहू	सीमा बेवा लीलमणी सिंह, सूरज कोमल मोनिका पिता लीलमणी सिंह									
1	हेमलता पति राकेश खसरा नं. / रकवा हे. 450/1/3 — 0.008 495/1/3 — 0.074 497/2/3 — 0.078 508/1/3 — 0.728 कुल = 4 किता — 0.888 हे.	चन्द्रकान्ता पिता पूजा पिता भैयालाल द्रोपती पत्नी भैयालाल रामवती जगौता सती जराजू रामरती पिता दादी झुमिया बेवा ददनी राकेश लल्ला मंतु परवतिया पिता ददनी	हेमलता पति राकेश एकांश खुशी अंशिका अल्का पिता राकेश कचेर	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर स्वयं	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर	ओ.बी.सी.	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर	एकांश कुमार कचेर पिता राकेश कचेर

SECL/SAM/ABD/DUGM/2025/111,

सूचना

Date: 16.07.2025

दामनी भूमिगत खदान हेतु ग्राम कन्दोहा के अन्तर्गत ग्राम कन्दोहा तहसील बुढार जिला शहडोल की अधिग्रहीत भूमि के अन्तर्गत अधोलिखित दर्शाये गये भूमिस्वामियों के नाम एवं भू-आश्रितों के विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	1ए पत्रक के अनुसार भू-स्वामी का नाम	धारा 9(1)/ 1ए पत्रक के अनुसार	वर्तमान भू-स्वामी का नाम	भू-आश्रित का नाम एवं संबंध	दस्तावेज में भू-आश्रित का नाम: आधार कार्ड	मतदाता परिचय पत्र	रोजगार पंजीयन	शिक्षा प्रमाण पत्र (कक्षा-9वीं)	निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र	राशन कार्ड	अनुविभागीय अधिकारी के सत्यापन पत्र में
1	शहीद खान पिता वाहिद खान खसरा नं. / रकवा हे. 159/2 — 0.405 हे.	शहीद खान पिता वाहिद खान	शमीम अख्तर बेवा शहीद खान मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद शाहिर खान सूरी, मोहसिन खान, सायमा सोफिया नाज़ पिता शहीद खान	तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान (अवयस्क)	तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान			तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान	तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान		तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान	तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान
	सहमतिकर्ता भू-स्वामी अनंत सिंह, अनुसाह सिंह पिता डा. एल एम सिंह खसरा नं. / रकवा हे. 350/2/2 — 0.465 351/2 — 0.040 कुल 2 किता — 0.505	अनंत सिंह, अनुरुद्ध सिंह पिता डा. एल एम सिंह	अनंत सिंह पिता एल एम सिंह अनिरुद्ध प्रताप सिंह पिता एल एम सिंह									

नोट- भू-स्वामी अनंत सिंह, अनिरुद्ध प्रताप सिंह पिता एल एम सिंह के दवारा रकवा 0.505 हे. में से तौकीर खान सूरी पिता मोहम्मद समीर खान (अवयस्क) के रोजगार के लिए 0.405 हे. की सहमति दी गई एवं शेष रकवा 0.100 हे. मोनेटरी कम्पनसेसन/नगद क्षतिपूर्ति माग की गई है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमिस्वामी/भूआश्रितों के नाम में विविधता/भूअभिलेख में विविधता एवं रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में यदि किसी को आपत्ति है तो प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय महाप्रबंधक, सोहागपुर क्षेत्र में दर्ज कराये अन्यथा उपरोक्त भूमिस्वामियों के आश्रितों के रोजगार विषयक कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, सोहागपुर क्षेत्र